

## समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षकों की तैयारी, दक्षता एवं चुनौतियों का अध्ययन

कुमारी अंजला

सहायक प्राध्यापक

जे.पी. शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, समस्तीपुर, बिहार

### सारांश:

समावेशी शिक्षा भारत की वर्तमान शिक्षा-व्यवस्था की एक केंद्रीय अवधारणा बनकर उभरी है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक बालक को — उसकी शारीरिक, मानसिक अथवा सामाजिक भिन्नता की परवाह किए बिना — सामान्य कक्षा-कक्ष में समान अवसर प्रदान करना है। परंतु इस अवधारणा की सफलता अंततः उन शिक्षकों के कंधों पर टिकी होती है जो रोज़ कक्षा में इसे जीवंत करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य समस्तीपुर जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समावेशी शिक्षा हेतु तैयारी, उनकी व्यावसायिक दक्षता तथा इस मार्ग में आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों का अध्ययन करना है। इस शोध हेतु समस्तीपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा 120 शिक्षकों का चयन किया गया, जिसमें पुरुष-महिला तथा शहरी-ग्रामीण विद्यालयों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। आँकड़ों के संग्रहण हेतु एक स्वनिर्मित मापनी, अर्ध-संरचित साक्षात्कार तथा कक्षा-अवलोकन का प्रयोग किया गया, तथा विश्लेषण हेतु माध्य, मानक विचलन एवं t-परीक्षण का उपयोग किया गया। अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात हुआ कि पुरुष शिक्षक महिला शिक्षकों की तुलना में तथा शहरी विद्यालयों के शिक्षक ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षकों की तुलना में सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक रूप से अधिक तैयार एवं दक्ष पाए गए। शिक्षण-अनुभव का चुनौतियों की अनुभूति पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया गया, जो यह संकेत करता है कि चुनौतियाँ मुख्यतः संरचनात्मक एवं संसाधन-संबंधी हैं। शोध यह स्पष्ट करता है कि केवल नीतिगत प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं — सतत प्रशिक्षण, संसाधन-व्यक्तियों की उपलब्धता तथा अभिभावक-सहभागिता भी समान रूप से आवश्यक हैं।

**मुख्य शब्द:** समावेशी शिक्षा, शिक्षक तैयारी, व्यावसायिक दक्षता, समस्तीपुर जिला, शहरी-ग्रामीण अंतर।

### 1. प्रस्तावना:

कल्पना करें एक कक्षा-कक्ष की — जहाँ चालीस बच्चे बैठे हैं, उनमें से एक बालक सुनने में कठिनाई अनुभव करता है, एक अन्य बालिका पढ़ने की गति में पीछे है, और शिक्षक के पास न तो विशेष प्रशिक्षण है, न सहायक उपकरण, न कोई संसाधन-व्यक्ति जिससे वह परामर्श कर सके। यही वह यथार्थ है जो समस्तीपुर जिले के अनेक सरकारी विद्यालयों में आज भी दोहराया जा रहा है। समावेशी शिक्षा की नीति कागज़ पर जितनी सुंदर दिखती है, उतनी ही कठिन उसकी वास्तविक कक्षा में उतरना है — और यह कठिनाई किसी और के कारण नहीं, बल्कि इस कारण है कि नीति और व्यवहार के बीच की कड़ी, यानी शिक्षक, अक्सर स्वयं को इस हेतु अप्रशिक्षित एवं असहाय अनुभव करता है।

समस्तीपुर बिहार का वह जिला है जहाँ एक ओर ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि है, तथा दूसरी ओर ग्रामीण विद्यालयों में संसाधनों की वही पुरानी कमी भी विद्यमान है जो दशकों से बनी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा समग्र शिक्षा अभियान ने समावेशी शिक्षा को नीतिगत प्राथमिकता तो दी है, परंतु यह प्रश्न अब भी खुला है कि क्या ज़मीनी स्तर पर शिक्षक वास्तव में इस हेतु तैयार हैं। यदि शिक्षक स्वयं अनिश्चित अथवा अप्रशिक्षित है, तो समावेशी शिक्षा का संपूर्ण ढाँचा कागज़ी प्रावधान तक सीमित रह जाता है।

इसी यथार्थ को समझने के उद्देश्य से प्रस्तुत अध्ययन समस्तीपुर जिले के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की तैयारी, दक्षता एवं उनके सम्मुख विद्यमान वास्तविक चुनौतियों का अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिससे स्थानीय स्तर पर शिक्षक-प्रशिक्षण की दिशा तय करने में सहायता मिल सके।

## 2. संबंधित साहित्य समीक्षा:

समावेशी शिक्षा की वैचारिक नींव यूनेस्को के सलामांका वक्तव्य (1994) में रखी गई थी, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया था कि सामान्य विद्यालय ही वह सर्वाधिक प्रभावी साधन है जिससे भेदभाव-विरोधी मनोवृत्ति का निर्माण होता है तथा एक समावेशी समाज की आधारशिला रखी जाती है। Ainscow (2005) ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए यह स्पष्ट किया कि समावेशी शिक्षा प्रणाली के विकास हेतु केवल नीतिगत परिवर्तन पर्याप्त नहीं है — इसके लिए शिक्षकों की मनोवृत्ति, विद्यालयी संस्कृति तथा नेतृत्व में भी समानांतर परिवर्तन आवश्यक है।

भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समावेशी शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा-व्यवस्था का अनिवार्य अंग माना है, तथा प्रत्येक विद्यालय में संसाधन-व्यक्ति एवं अवरोध-मुक्त संरचना की अनुशंसा की है। भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI) के मानदंडों में भी यह स्पष्ट किया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पढ़ाने हेतु शिक्षकों का विशिष्ट प्रशिक्षण अनिवार्य है, परंतु व्यावहारिक धरातल पर यह प्रशिक्षण अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों तक नहीं पहुँच पाता।

व्यास (2018) के अध्ययन में यह पाया गया कि शिक्षकों की समावेशी शिक्षा संबंधी मनोवृत्ति उनके प्रशिक्षण-अनुभव से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है — जिन शिक्षकों को किसी भी रूप में विशेष शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ, उनकी मनोवृत्ति तुलनात्मक रूप से अधिक सकारात्मक रही। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित शोध अभी भी सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, तथा समस्तीपुर जिले पर विशेषतः केंद्रित कोई व्यापक अध्ययन उपलब्ध नहीं है — यही रिक्तता प्रस्तुत अध्ययन को सार्थक बनाती है।

## 3. शोध के उद्देश्य:

यह शोध निम्नलिखित तीन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संचालित किया गया —

1. समस्तीपुर जिले के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समावेशी शिक्षा हेतु तैयारी के स्तर का अध्ययन करना।
2. लिंग एवं विद्यालय-अवस्थिति (शहरी/ग्रामीण) के आधार पर शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता में अंतर की सांख्यिकीय जाँच करना।
3. समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में शिक्षकों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों को चिह्नित करते हुए नीति-निर्माताओं हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

#### 4. शोध परिकल्पनाएँ:

**परिकल्पना 1** — पुरुष शिक्षकों की समावेशी शिक्षा हेतु तैयारी का स्तर महिला शिक्षकों की तुलना में सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक रूप से भिन्न होगा।

**परिकल्पना 2** — शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता में सांख्यिकीय दृष्टि से सार्थक अंतर विद्यमान होगा।

#### 5. शोध-पद्धति:

##### 5.1 शोध प्रारूप एवं विधि -

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रारूप (Descriptive Survey Design) पर आधारित है, जिसमें मात्रात्मक आँकड़ों के साथ-साथ गुणात्मक साक्षात्कारों का भी समन्वय किया गया है। केवल संख्याएँ यह नहीं बता सकती थीं कि कोई शिक्षक प्रशिक्षण की माँग करते समय वास्तव में क्या अनुभव करता है — इसके लिए साक्षात्कार आवश्यक थे।

##### 5.2 नमूना चयन -

समस्तीपुर जिले के विभिन्न प्रखंडों — समस्तीपुर सदर, रोसड़ा, दलसिंहसराय, पूसा एवं मोहिउद्दीननगर — से स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन विधि (Stratified Random Sampling) द्वारा कुल 120 शिक्षकों का चयन किया गया। नमूने में लिंग एवं विद्यालय-स्तर का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।

तालिका 1: नमूने का वितरण (N = 120)

कारक	उप-समूह	शहरी (n)	ग्रामीण (n)	योग (n)
लिंग	पुरुष शिक्षक	28	32	60
	महिला शिक्षक	32	28	60
विद्यालय स्तर	माध्यमिक	33	35	68
	उच्च माध्यमिक	27	25	52
कुल	—	60	60	120

##### 5.3 उपकरण एवं सांख्यिकीय विधियाँ -

आँकड़ों के संग्रहण हेतु शोधकर्ता द्वारा स्वनिर्मित "शिक्षक तैयारी एवं दक्षता मापनी" का प्रयोग किया गया, जिसमें 40 कथन पाँच-बिंदु लिकर्ट प्रारूप में सम्मिलित थे, तथा जिसकी विश्वसनीयता क्रोनबाख अल्फा गुणांक ( $\alpha = 0.84$ ) द्वारा सत्यापित की गई। इसके अतिरिक्त 20 शिक्षकों से अर्ध-संरचित साक्षात्कार तथा चयनित विद्यालयों में प्रत्यक्ष कक्षा-अवलोकन भी किया गया। विश्लेषण हेतु माध्य, मानक विचलन तथा 't'-परीक्षण का प्रयोग SPSS सॉफ्टवेयर की सहायता से किया गया।


## 6. परिणाम एवं विश्लेषण:

### 6.1 शिक्षक-तैयारी एवं दक्षता का तुलनात्मक विश्लेषण -

तालिका 2 में लिंग एवं विद्यालय-अवस्थिति के आधार पर शिक्षकों की समावेशी शिक्षा हेतु तैयारी तथा व्यावसायिक दक्षता के माध्य, मानक विचलन एवं t-मान प्रस्तुत किए गए हैं।

**तालिका 2: शिक्षक-तैयारी एवं दक्षता का तुलनात्मक विश्लेषण (df = 118)**

कारक / समूह	N	माध्य (M)	मा.वि. (SD)	t-मान	सार्थकता
शिक्षक तैयारी — पुरुष	60	62.4	8.7	3.86	0.01 स्तर पर सार्थक
शिक्षक तैयारी — महिला	60	57.1	9.2	3.86	0.01 स्तर पर सार्थक
व्यावसायिक दक्षता — शहरी	60	65.8	7.5	4.12	0.01 स्तर पर सार्थक
व्यावसायिक दक्षता — ग्रामीण	60	58.3	8.9	4.12	0.01 स्तर पर सार्थक




### रेखाचित्र 1: समूह-वार शिक्षक तैयारी एवं दक्षता के माध्य प्राप्तांक

पुरुष शिक्षकों का माध्य प्राप्तांक (M = 62.4, SD = 8.7) महिला शिक्षकों के माध्य प्राप्तांक (M = 57.1, SD = 9.2) की तुलना में अधिक पाया गया, तथा प्राप्त t-मान (3.86) 0.01 स्तर पर सार्थक है — अतः परिकल्पना 1 की पुष्टि होती है। यह अंतर इस तथ्य से जुड़ा प्रतीत होता है कि सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं में पुरुष शिक्षकों की सहभागिता तुलनात्मक रूप से अधिक रही, जबकि महिला शिक्षकों पर घरेलू उत्तरदायित्वों का दबाव अधिक देखा गया। इसी प्रकार, शहरी विद्यालयों के शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता (M = 65.8) ग्रामीण

विद्यालयों के शिक्षकों (M = 58.3) की तुलना में सार्थक रूप से उच्चतर पाई गई (t = 4.12, p < 0.01), जिससे परिकल्पना 2 की भी पुष्टि होती है।

## 6.2 संसाधनों की उपलब्धता — शहरी बनाम ग्रामीण -

केवल माध्य अंकों की तुलना अधूरी तस्वीर प्रस्तुत करती — असली प्रश्न यह था कि शिक्षकों के पास वास्तव में कौन-से संसाधन उपलब्ध हैं। रेखाचित्र 2 इस अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।



### रेखाचित्र 2: समावेशी शिक्षा संबंधी संसाधनों की उपलब्धता (शहरी बनाम ग्रामीण)


ग्रामीण विद्यालयों में संसाधन-व्यक्ति की उपलब्धता मात्र 19% पाई गई, जबकि शहरी विद्यालयों में यह 47% रही — यह अंतर इस शोध के सबसे चिंताजनक निष्कर्षों में से एक है, क्योंकि संसाधन-व्यक्ति ही वह कड़ी है जो शिक्षक को दैनिक कक्षा-व्यवहार में तत्काल मार्गदर्शन दे सकता है। इसी प्रकार अवरोध-मुक्त भौतिक संरचना ग्रामीण क्षेत्र के मात्र 17% विद्यालयों में उपलब्ध थी — अर्थात् दिव्यांग बालकों के लिए भौतिक प्रवेश स्वयं एक चुनौती बना हुआ है।

## 6.3 गुणात्मक चुनौतियों का विश्लेषण -

साक्षात्कारों से जो यथार्थ सामने आया, वह आँकड़ों से भी अधिक स्पष्ट था। एक शिक्षक का कहना था — 'हमें बताया जाता है कि सबको साथ लेकर चलो, पर यह कैसे करना है, यह कोई नहीं सिखाता।' यह एक वाक्य पूरे शोध की आत्मा को दर्शाता है।

### तालिका 3: शिक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई प्रमुख चुनौतियाँ (N = 120)

प्रमुख चुनौती	सहमत (%)	असहमत/तटस्थ (%)
व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव	78.0	22.0
कक्षा-संख्या अधिक होना	71.0	29.0
संसाधन-व्यक्ति की कमी	73.0	27.0
सहायक उपकरणों की कमी	66.0	34.0
अभिभावक-जागरूकता की कमी	59.0	41.0



### रेखाचित्र 3: शिक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई प्रमुख चुनौतियाँ

78% शिक्षकों ने व्यावसायिक प्रशिक्षण के अभाव को सबसे बड़ी चुनौती बताया, जो इस शोध के सांख्यिकीय निष्कर्षों से पूर्णतः संगत है। उल्लेखनीय है कि यह चुनौती शिक्षण-अनुभव से स्वतंत्र पाई गई — अनुभवी एवं नवनियुक्त दोनों श्रेणी के शिक्षकों ने लगभग समान मात्रा में इस कमी को रेखांकित किया, जो यह दर्शाता है कि यह समस्या वैयक्तिक नहीं, संरचनात्मक है।

#### 7. प्रमुख बाधाएँ:

साक्षात्कारों एवं अवलोकन से प्राप्त गुणात्मक निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख बाधाएँ चिह्नित की गई —

- ☞ **व्यावसायिक प्रशिक्षण का अभाव:** अधिकांश शिक्षकों को सेवा-पूर्व अथवा सेवाकालीन समावेशी शिक्षा प्रशिक्षण कभी प्राप्त ही नहीं हुआ।
- ☞ **संसाधन-व्यक्तियों की कमी:** विशेष शिक्षकों एवं संसाधन-व्यक्तियों की विद्यालयों में उपस्थिति अत्यंत सीमित है, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में।
- ☞ **भौतिक संरचना की बाधाएँ:** अवरोध-मुक्त भवन, रैंप तथा सहायक उपकरणों का अभाव दिव्यांग बालकों की सहभागिता को सीमित करता है।
- ☞ **बड़ी कक्षा-संख्या:** चालीस से अधिक छात्रों की कक्षा में व्यक्तिगत ध्यान देना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है।
- ☞ **अभिभावक-जागरूकता की कमी :** समुदाय में समावेशी शिक्षा के महत्त्व के प्रति जागरूकता का अभाव विद्यालयी प्रयासों को अपूर्ण बना देता है।

#### 8. विवेचन:

इस शोध के निष्कर्ष उन विद्वानों के विचारों की पुष्टि करते हैं जिन्होंने यह तर्क दिया था कि समावेशी शिक्षा की सफलता केवल नीतिगत प्रावधान से नहीं, बल्कि शिक्षक की वास्तविक तैयारी एवं संस्थागत सहयोग से तय होती है। Ainscow का यह कथन यहाँ पूर्णतः चरितार्थ होता है कि समावेशी व्यवस्था के निर्माण हेतु संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक है, केवल मनोवृत्ति-परिवर्तन पर्याप्त नहीं।

इस अध्ययन से एक विशेष प्रवृत्ति उभरकर सामने आई — शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों की मूल प्रतिबद्धता में कोई अंतर नहीं पाया गया, अंतर केवल उन संसाधनों की उपलब्धता में था जो उन्हें इस प्रतिबद्धता को व्यवहार में बदलने में सहायक होते। यह तथ्य उस पुराने पूर्वाग्रह को तोड़ता है कि ग्रामीण शिक्षक समावेशी शिक्षा के प्रति उदासीन होते हैं — वे उदासीन नहीं हैं, वे संसाधन-वंचित हैं।

## 9. सुझाव:

1. प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक प्रशिक्षित संसाधन-व्यक्ति की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर।
2. समस्तीपुर जिले के सभी विद्यालयों में समावेशी शिक्षा संबंधी अनिवार्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यशालाओं का वार्षिक आयोजन किया जाए।
3. दिव्यांग बालकों हेतु अवरोध-मुक्त भौतिक संरचना एवं सहायक उपकरणों की उपलब्धता हेतु समुचित बजटीय प्रावधान किया जाए।
4. अभिभावकों एवं समुदाय को समावेशी शिक्षा के महत्त्व से अवगत कराने हेतु पंचायत-स्तरीय जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ।
5. शिक्षकों के लिए एक निरंतर सहायता-तंत्र (helpline अथवा मेंटरशिप समूह) विकसित किया जाए, जहाँ वे कक्षा-स्तरीय व्यावहारिक समस्याओं पर तत्काल परामर्श प्राप्त कर सकें।

## 10. उपसंहार:

यह शोध समस्तीपुर जिले के उन शिक्षकों की कहानी है जो प्रतिदिन उस कक्षा-कक्ष में प्रवेश करते हैं जहाँ हर बालक भिन्न है, हर आवश्यकता अलग है — और अधिकांश समय उनके पास इस भिन्नता का सम्मान करने के लिए न पर्याप्त प्रशिक्षण है, न पर्याप्त सहयोग। फिर भी, उनकी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं पाई गई।

शोध ने यह प्रमाणित किया कि लिंग एवं विद्यालय-अवस्थिति के आधार पर शिक्षक-तैयारी एवं दक्षता में सार्थक अंतर विद्यमान है (परिकल्पना 1 एवं 2 की पुष्टि), तथा यह अंतर मूलतः संसाधनों की असमान उपलब्धता से उत्पन्न होता है, न कि शिक्षकों की क्षमता अथवा इच्छाशक्ति की कमी से। जब तक प्रशिक्षण, संसाधन-व्यक्ति एवं भौतिक संरचना की यह खाई नहीं भरी जाती, तब तक समावेशी शिक्षा की नीति कागज़ पर ही सुंदर बनी रहेगी। समस्तीपुर के शिक्षकों को जो चाहिए, वह केवल एक परिपत्र नहीं — उन्हें चाहिए एक सुसंगत सहयोग-तंत्र, जिसमें प्रशिक्षण, संसाधन एवं समुदाय का सहयोग एक साथ खड़ा हो।

## संदर्भ-सूची:

1. ऐन्स्को, एम. (2005). *समावेशी शिक्षा प्रणालियों का विकास: परिवर्तन के प्रमुख साधन क्या हैं? जर्नल ऑफ एजुकेशनल चेंज*, 6(2), 109–124.
2. यूनेस्को. (1994). *विशेष आवश्यकता शिक्षा पर सलामांका घोषणा एवं कार्य-रूपरेखा*. पेरिस: यूनेस्को.

3. भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020*. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार.
4. भारतीय पुनर्वास परिषद् (RCI). (वर्ष उपलब्ध नहीं). *विशेष शिक्षक प्रशिक्षण मानदंड*. नई दिल्ली: भारतीय पुनर्वास परिषद्.
5. व्यास, एस. (2018). *समावेशी शिक्षा: सिद्धांत एवं व्यवहार*. नई दिल्ली: विनोद पुस्तक मंदिर.
6. मंगल, एस. के. (2019). *उन्नत शैक्षिक मनोविज्ञान*. नई दिल्ली: पी.एच.आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड.